

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

- (1) प्रकरण संख्या: 02/2018
(2) दायरा दिनांक: 05.2.2018

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही

बनाम

गैरसायल

शम्भूलाल उर्फ शम्भूडा पुत्र अमराजी, जाति- भाट, निवासी- माण्डवा, पुलिस थाना सिरोही, जिला- सिरोही

“इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975”

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल एवं गैरसायल के अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल

-: निर्णय :-

दिनांक 06 जून, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल शम्भूलाल उर्फ शम्भूडा पुत्र अमराजी, जाति- भाट, निवासी- माण्डवा, पुलिस थाना सिरोही के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है एवं जुआं के अपराध करने का आदि है। जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खेलाता रहता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। गैरसायल का जुआ खेलेने व खिलाने से आम लोगों व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु लोग तैयार नहीं होते हैं। गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलते पकडा जाने पर पुलिस थाना सिरोही में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 4 प्रकरण दर्ज हुये है जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिसमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुमाने/सजा से दण्डित किया है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, सिरोही में वर्ष 2001 से अब तक कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। पूर्व में गैरसायल के विरुद्ध में दर्ज अपराध संख्या 94/2001 धारा 13 आर.पी.जी.ओ., अपराध संख्या 94/2002 धारा 451, 341, 323 भा.द.सं., अपराध संख्या 142/2006 धारा 341, 323, 325/34 भा.द. सं., अपराध संख्या 146/2012 धारा 341, 323 भा.द.सं., अपराध संख्या 18/2012 धारा 341, 323, 354 भा.द.सं., अपराध संख्या 5/2013 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. दर्ज होकर अपराध संख्या 94/2001 व 5/2013 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में सजा होने पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत इस्तगासा जरिये क्रमांक 4891 दिनांक 27.11.2013 से प्रेषित किया गया था जिसमें में गैरसायल

.....पेज दो पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.



को 45 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना शिवगंज निष्कासन किया गया था। मगर उसके बाद भी गैरसायल के विरुद्ध 5 अपराध पंजीबद्ध होकर संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें से अपराध संख्या 244/02.11.2014 धारा 13 आर. पी.जी.ओ. व अपराध संख्या 267/22.9.2015 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया गया है। गैरसायल जुआं खेलने में लिप्त है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है जो आदतन जुआं खेलने व आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित करने से आम जनता में भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(बी)3(सी) में वर्णित अपराध करने का आदि है और मौजूदा समय में ऐसे अपराध करने में लिप्त है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कानूनी सलूक फरमाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति भी तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 10.4.2018 को गैरसायल इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल उपस्थित हुये। दिनांक 10.4.2018 को गैरसायल ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनवीक्षा चाही। तत्पश्चात् प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 06.6.2018 को गैरसायल ने उपस्थित होकर आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र कर प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकार कर लिये जाने से सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत पुलिस थाना सिरोही में 4 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये एवं इन 4 प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया गया है। इसके अलावा भी गैरसायल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत 5 व आबकारी अधिनियम के तहत दो मुकदमें दर्ज हुये हैं। गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है। इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कई गरीब परिवार अपनी जमा पूंजी जुए में गवा चुके हैं। गैरसायल के ऐसे आपराधिक कृत्यों से आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते हैं, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है। गैरसायल ने जुआं के उक्त मुकदमों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने व लोगों को धमकाने बाबत कोई मुकदमें दर्ज नहीं हुये हैं। गैरसायल के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं। गैरसायल विगत एक वर्ष से किसी भी

.....पेज तीन पर

प्रति. जिला पब्लिक प्रॉसेक्यूटोर
सिरोही-307001.




तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। गैरसायल वर्तमान में मजदूरी कर शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल शम्भूलाल उर्फ शम्भूडा पुत्र अमराजी, जाति- भाट, निवासी- माण्डवा, पुलिस थाना सिरौही के विरुद्ध पुलिस थाना, सिरौही में अपराध संख्या 94/2001 धारा 13 आर.पी.जी.ओ., अपराध संख्या 94/2002 धारा 451, 341, 323 भा.द.सं., अपराध संख्या 142/2006 धारा 341, 323, 325/34 भा.द.सं., अपराध संख्या 146/2012 धारा 341, 323 भा.द.सं., अपराध संख्या 18/2012 धारा 341, 323, 354 भा.द.सं., अपराध संख्या 5/2013 धारा 13 आर.पी.जी.ओ., अपराध संख्या 125/2014 धारा 143, 341, 323, 451, 325 भा.द.सं., अपराध संख्या 244/02.11.2014 धारा 13 आर.पी.जी.ओ., अपराध संख्या 267/22.9.2015 धारा 13 आर.पी.जी.ओ., अपराध संख्या 62/08.4.2016 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम, अपराध संख्या 197/2017 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के दर्ज उक्त 4 प्रकरणों में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को सिद्ध दोष ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया है। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज उक्त अपराध संख्या 244/02.11.2014 व 267/22.9.2015 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज उक्त अपराध संख्या 244/02.11.2014 व 267/22.9.2015 में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, इन आरोप पत्रों की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज उक्त अपराध संख्या 244/02.11.2014 व 267/22.9.2015 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2014 व 07.10.2015 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 2017 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैरसायल द्वारा लोगों को धमकाने व आतंकित करने के संबंध में भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध शांतिभंग करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई हो, ऐसी भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।


अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये गैरसायल शम्भूलाल उर्फ शम्भूडा पुत्र अमराजी, जाति- भाट, निवासी- माण्डवा, पुलिस थाना, सिरौही, जिला- सिरौही को छः माह की अवधि के लिये नेकचलनी व शांति बनाये

.....पेज चार पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.



रखने हेतु पाबन्द कर आदेशित किया जाता है कि गैरसायल एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा गैरसायल भविष्य में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निर्बन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत रुपये पचास हजार रुपये का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(आशाराम डूडी)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही